न्यायालय अपर सैशन न्यायाधीश, क्रम 2, अजमेर (राज.)

पीठासीन अधिकारी – विकाससिंह चौधरी , आर.जे.एस
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

जमानत प्रार्थना पत्र सी.आई. एस. संख्या 179/2026

1–घीसा खां पुत्र मिटठू खां, उम्र–50 वर्ष, निवासी रूदलाई, पुलिस थाना मांगलियावास जिला अजमेर तत्पश्चात गुर्जर का चौक श्री राम ठीला शास्त्री नगर जयपुर हाल ईदगाह कॉलोनी वैशाली नगर, पुलिस थाना क्रिश्चयनगंज, अजमेर हाल बन्दी केन्द्रीय कारागृह, अजमेर।

––प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये अपर लोक अभियोजक, अजमेर –– अभियोगी

जमानत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 483 भा.ना.सु.सं.
प्रथमसूचना रिपोर्ट संख्या 47/2025 पुलिस थाना सिविल लाईन
अपराध अंतर्गत धारा 420,465,467,471,201 भा.द.स.
फौज. प्र.स.8081/2026 सरकार बनाम घीसा खां

उपस्थित

1– श्री विनोद मकवाना, विद्वान अधिवक्ता, प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।
2– श्री अशोक अग्रवाल, अपर लोक अभियोजक, राज्य की ओर से।

आदेश दिनांक 09–03–2026

1– प्रार्थी/अभियुक्त घीसा खां की ओर से अधीनस्थ न्यायालय अति.मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या–3, अजमेर के समक्ष दिनांक 18–12–2025 को प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 480 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बाद सुनवाई अस्वीकार कर खारिज किया गया । इसके उपरान्त प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से यह जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जरिये अधिवक्ता माननीय जिला एवं सैशन न्यायाधीश, अजमेर के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसकी प्रति लोक अभियोजक को दिलवाई गई । उक्त जमानत आवेदन पत्र अंतरित किया जाकर सुनवाई एवं निस्तारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ। उभय पक्षों की बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

2– बहस के दौरान विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क रहा है कि प्रार्थी निर्दोष है उसे इस प्रकरण मे झूंठा फंसाया गया है। उनका यह भी कथन रहा है कि प्रकरण मे आरोप पत्र प्रस्तुत हो चुका है तथा विचारण मे समय लगने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। प्रार्थी दिनांक 15–12–2025 से न्यायिक अभिरक्षा मे है। प्रार्थी न्यायालय के आदेशानुसार जमानत मुचलके पेश करने हेतु तत्पर है। अंत में जमानत आवेदन स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

3– जबाब मे अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन पत्र का विरोध करते हुए जमानत आवेदन–पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

4– उभय पक्षों के तर्को पर गंभीरतापूर्वक विचार किया गया । प्रकरण के सुसंगत तथ्य इस प्रकार से है कि परिवादी श्री कन्हैया खानचंदानी, रीडर न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 2, अजमेर ने एक लिखित रिपोर्ट दिनांक 11–2–25 को पुलिस थाना सिविल लाईन, अजमेर पर इस आशय की प्रेषित की कि न्यायालय के प्रकरण संख्या 322/2020

सरकार बनाम फैसाज मे घीसा खां ने अभियुक्त फैयाज शेख इकबाज व फिरोज की जमानते न्यायालय मे प्रस्तुत की व जमानत के साथ एक अलाटमेंट सर्टिफिकेट महावीर गृह निर्माण सहकारी समिति जयपुर का जारी होना बताते हुए प्रोविजनल एलाटमेंट सर्टिफिकेट पेश किया, अभियुक्तगण के अनुपस्थित होने पर कार्यवाही करने पर न्यायालय की जानकारी मे यह आया कि घीसा ने कूटरचित व बनावटी दस्तावेज छलपूर्वक जमानत के तौर पर प्रस्तुत किया। आदि उक्त रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज किया जाकर बाद अनुसंधान सक्षम न्यायालय मे आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया।

5– पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर आता है प्रार्थी के विरूद्ध पूर्व मे निम्न आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध रहे है।

क्रम सं.	मुकदमा संख्या	थाना	धारा	विवरण
1	455/13	क्रिश्चयनगंज	13 आर.पी.जी.ओ.	
2	35/25	सिविल लाईन	465,471,467 भा.द.स.	

6– प्रार्थी/ अभियुक्त दिनांक 15–12–2025 से निरन्तर पुलिस/ न्यायिक अभिरक्षा मे हैं। प्रकरण मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है तथा विचारण मे समय लगने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों व परिस्थितियो को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना प्रार्थी / अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

7– फलतः प्रार्थी/ अभियुक्त घीसा खां पुत्र मिटठू खां की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद एक लाख रूपये का स्वयं का मुचलका तथा पचास–पचास हजार रूपये की दो जमानतें(जमानती स्थानीय हो) प्रस्तुत कर प्रमाणित करा देवे तथा प्रार्थी किसी अन्य प्रकरण मे वांछित न हो तो प्रार्थी/अभियुक्त को प्रथमसूचना रिपोर्ट संख्या 47/2025 पुलिस थाना सिविल लाईन, अजमेर (फौजदारी प्रकरण संख्या 8081/2026 सरकार बनाम घीसा खां) में जमानत पर रिहा कर दिया जावे। आदेश की प्रति माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा SMWP[CRIMINAL] No.4/2021 IN RE POLICY STRATEGE FOR GRANT OF BAIL मे पारित आदेश दिनांक 31–1–2023 की पालना मे मुलजिम को उपलब्ध कराने हेतु जरिये इ–मेल अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, अजमेर को प्रेषित की जावे।

(विकास सिंह चौधरी)
अपर सैशन न्यायाधीश क्रम 2, अजमेर

8– आदेश आज दिनांक 09–03–2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास सिंह चौधरी)
अपर सैशन न्यायाधीश क्रम 2, अजमेर